**भारत सरकार**

**रक्षा मंत्रालय**

**रक्षा विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 1462**

**01 जनवरी, 2018 को उत्‍तर के लिए**

**सशस्त्र सेनाओं के लिए साजो-सामान और संसाधनों की आवश्यकता**

**1462. श्री नरेश अग्रवालः**

क्‍या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क)क्या यह सच है कि सेना के तीनों अंगों की तरफ से साजो-सामान एवं संसाधनों की कमी को पूरा करने का अनुरोध किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सेना के तीनों अंगों के पास पर्याप्त साजो-सामान एवं संसाधन मौजूद है ?

**उत्‍तर**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)**

(क) से (ग): सैन्य बलों के लिए संभारिकी और संसाधनों की आवश्यकता एक सतत रूप से चलने वाली प्रक्रिया है । सैन्य बलों द्वारा ऐसी अधिकतम आवश्यकताएं उन्हें प्रत्यायोजित वित्तीय शक्तियों के भीतर पूरी की जाती हैं । प्रत्यायोजित शक्तियों से ऊपर वाले प्रस्ताव को मंत्रालय को भेजा जाता है । सैन्य बलों की प्रशासनिक, ऑपरेशनल एवं अन्य आवश्यकयताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे प्रस्तावों को आबंटित बजटीय प्रावधानों के भीतर निष्पादित किया जाता है ।

\*\*\*\*